



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
**National Commission for Scheduled Tribes**

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल. सं. NCST/DEV-316/MP/12/2022-ESDW

दिनांक: 27.03.2023

श्री छोटु अलावा,  
ग्राम-गुराडिया,  
मनावर, जिला धार,  
मध्य प्रदेश

श्री बलराम भाबरिया,  
ग्राम-गुलाटी,  
मनावर, जिला धार,  
मध्य प्रदेश

श्री नहार सिंह बुंदेला,  
ग्राम- सोणदुल,  
मनावर, जिला धार,  
मध्य प्रदेश

श्री रमेश मण्डलोई,  
ग्राम-बडगांव,  
मनावर, जिला धार,  
मध्य प्रदेश


**विषय:** अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (धार सीमेंट वर्क्स टोंकी मनावर) की गतिविधियों से अनुसूचित जनजातियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से सम्बंधित शिकायतों बाबत ।

**महोदय,**

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक जी ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 10.04.2023 को 11:30 बजे, आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है. सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
(एच. आर. मीना)  
अनुसंधान अधिकारी